HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 5th (Interim) Bail Application No. 248/2026

Vijay Singh Rawat @ Aakas Rawat S/o Late Shri Shree Suwa Singh, Aged About 29 Years, R/o Talai Hathi Khera, Foysagary Road, Police Station Ganj, Ajmer. (At Present Accused Petitioner Confined In Central Jail Ajmer).

----Accused-Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Anil Kumar Mr. Avinash Kuldeep
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

23/02/2026

S.B. Criminal Miscellaneous (Interim) Bail Application No. 248/2026:-

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अंतरिम जमानत हेतु यह अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 248/2026, पुलिस थाना गंज जिला अजमेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 235/2023 अंतर्गत धारा 302, 120—बी, 307 भारतीय दंड संहिता में पेश किया गया है।

कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना गंज जिला अजमेर राजस्थान द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक 646 दिनांक 22.02.2026 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त की माता पांची देवी की शरीर के ऊपरी युरेटेरिक में 8x6 एम एम की पथरी पाई गई है, जिसके लिए मरीज को ऑपरेशन का सुझाव दिया है। पथरी का आकर बड़ा होने और पथरी के दवाइयों से शरीर

निकलने में समय लगने की संभवना को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमती पांची देवी को ऑपरेशन की सलाह दी गई है। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थी/अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुत्र व पुत्री का होना नहीं बताया है, जो कि प्रार्थी/अभियुक्त की माता का ऑपरेशन और देखभाल कर सकें। प्रार्थी/अभियुक्त की माता का देखभाल करने व ऑपरेशन कराने वाला अन्य कोई रिश्तेदार जिनका विस्तृत विवरण उक्त पुलिस थाना द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट में नहीं बताया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त की माता के शरीर का ऑपरेशन दिनांक 24.02.2026 को होना चिकित्सक द्वारा होना जाहिर किया है, जिसे विद्वान लोक अभियोजक द्वारा भी सही होना माना है, अतः प्रार्थी/अभियुक्त को उसकी माता का ऑपरेशन कराने के लिए अंतरिम जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना गंज जिला अजमेर राजस्थान द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक 646 दिनांक 22.02.2026 प्रस्तुत कर प्रार्थी/अभियुक्त की माता का ऑपरेशन दिनांक 24.02.2026 को होना जाहिर किया तथा उसके संबंध में दस्तावेज की प्रति भी प्रस्तुत की, अंत में उचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

मैंने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रकरण में कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना गंज जिला अजमेर राजस्थान द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक 646 दिनांक 22.02.2026 प्रस्तुत कर प्रार्थी/अभियुक्त की माता का ऑपरेशन दिनांक 24.02.2026 को होना बताया गया है, जिसके ऑपरेशन से संबंधित दस्तावेज की प्रति भी प्रति भी प्रस्तुत हुई है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रस्तुत तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को उसकी माता का ऑपरेशन करवाने के लिए उसे दिनांक 24.02.2026 से दिनांक 05.03.2026 तक की अवधि के लिए अंतरिम रूप से जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **विजय सिंह रावत उर्फ आकाश रावत पुत्र स्वर्गीय श्री सुवा सिंह** की ओर से प्रस्तुत उक्त अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद एक लाख रूपये का बंधपत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो मौतबिर जमानतें इन शर्तों के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे कि वह अन्तरिम जमानत अवधि के दौरान शांति व सद्व्यवहार बनाये रखेगा तथा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा दिनांक 06.03.2026 को स्वयं संबंधित कारागृह में उपस्थित होकर समर्पण कर देगा तो उसे अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा निर्धारित तिथि तक समर्पण नहीं किये जाने पर विचारण न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा निर्धारित तिथि तक समर्पण करने/नहीं करने के संबंध में संबंधित कारागृह के सक्षम अधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय/इस न्यायालय को अविलम्ब सूचित किया जाएगा।

तद्नुसार यह अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 248/2026 स्वीकार किया जाता है।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI /239